<u>मीडिया सेल</u>
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
<u>चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ –226001</u>

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक व निजी स्थानों से अब तक कुल 1,03,24,101 प्रचार सामग्री हटायी गयी

अब तक 8,72,736 लाइसेन्सी शस्त्र कराये गये जमा, 1946 लाइसेन्स निरस्त

सीआरपीसी के तहत 32,03,165 लोग पाबन्द

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अब तक विभिन्न धाराओं में 1366 एफआईआर दर्ज

अब तक लगभग 78.11 करोड़ रूपये से अधिक का कैश बरामद

अब तक 44.32 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 16,29,879 लीटर मदिरा एवं 38.05 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का 13,958 किग्रा ड्रग्स जब्त

लखनऊ : दिनांक : 14 फरवरी, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिये सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 1,03,24,101 प्रचार सामग्री हटायी गयी है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 75,90,105 एवं निजी स्थानों से 25,33,966 प्रचार सामग्री हटायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सार्वजनिक स्थानों से वाल राइटिंग के 5,18,846 पोस्टर के 33,14,601 बैनर के 24,84,792 तथा 12,71,866 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी है। इसी प्रकार निजी स्थलों से वाल राइटिंग के 2,25,474 पोस्टर के 11,28,018 बैनर के 7,27,130 तथा 4,53,374 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी एवं कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अब तक 8,72,736 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये, जिसमें से आज 1289 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये। अब तक 629 लाइसेन्स जब्त किए गए तथा 1946 लाइसेन्स निरस्त किये गये। इसी प्रकार सी0आर0पी0सी0 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुये 32,03,165 लोगों को पाबन्द किया गया हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक विभिन्न धाराओं में 1366 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है, जिसमें से आज विभिन्न धाराओं में 49 एफआईआर दर्ज की गयी। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अब तक 9095 शस्त्र, 9448 कारतूस, 229 विस्फोटक एवं 280 बम बरामद किये गये। पुलिस विभाग द्वारा रेड डालकर अवैध शस्त्र बनाने वाली 178 फैक्ट्रियों को सीज किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग एवं आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 78.11 करोड़ रूपये से अधिक का कैश बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 44.32 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 16,29,879 लीटर मदिरा जब्त की गयी हैं। इसी प्रकार नारकोटिक्स एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 38.05 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का 13,958 कि0ग्रा0 ड्रग्स जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस एवं आयकर विभाग द्वारा अब तक लगभग 30.90 करोड़ रुपये मूल्य की 304 किग्रा0 की बहुमूल्य धातुएं बरामद की गयी। इसके अतिरिक्त 1.77 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की अन्य वस्तुएं भी बरामद की गयी हैं।

———————————————————————